प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल कॉम्पलेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झाँसी/अलीगढ़।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4–4/2013–14/2301-5 **दिनांकः** 19/08/2013 ~~07.2013~~

विषयः–जनपद स्तर पर **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** की संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र–संख्याः एस.पी.एम.यू./एन.आर.सी./18–4–3/2012–13/1005–4 एवं स0 1004 दिनॉकः 06.08.2012 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें पत्र के माध्यम से **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशनिर्देश दिये गये है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0–।।। के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित है अर्थात इनका वजन ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। कुपोषण की रोक थाम एवं उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** के संचालन हेतु मानव संसाधन एवं आपरेशनल कास्ट धनराशि स्वीकृत की गयी है इसके उपयोग के सम्बन्ध दिशनिर्देश निम्नवत है। ध्यान रखें कि यह दिशानिर्देश पूर्व में जारी किये गये दिशानिर्देश को supplement कर रहें है तथा इनमें केवल नये निर्देश शामिल किये गये हैं। **पोषण पुनर्वास केन्द्र"** की संचालन के लिये पुराने व नये दोनों निर्देशो को देखने का कष्ट करें।

उद्देश्यः–

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं कामानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहारकी व्यवस्था।
4. मां एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।

6 पोषण पुनर्वास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

वित्त पोषण

Sl. No.	Name of Districts	Operational cost Approved from GoI	Medical Doctors	Nutitionist/ Feeding Demonstrator @ 15000/Mth for 6 Months	Staff Nurse @ Rs.16,500/Mth for 6 Months		Caretaker @ Rs.4000/Mth for 6 Months	Cook @ RS.5000/Mth for 6 Months	Total Funds To District
			Amount	Amount	No.	Amount	Amount	Amount	
	FMR Code	A.2.5	A.8.1.5.7	A.8.1.7.5.4	A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f	A.8.1.11.f	
1	Med. Coll. Aligarh	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
2	Med. Coll. Allahabad	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
3	Med. Coll.Gorakhpur	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
4	Med. Coll.Jhansi	780000		90000	3	297000	24000	30000	1221000
5	Med. Coll. Kanpur	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
TOTAl		**3900000**	**0**	**450000**	**19**	**1881000**	**120000**	**150000**	**6501000**

Table title: **Nutritional Rehablitation Centres Funds allocation**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट मद में विगत वर्ष की तरह औषधियों, कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ के लिये दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय, आशा या ऑगनवाड़ी हेतु प्रतिपूर्ति राशि, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फोलोअप आदि का वहन पूर्व की भॉति नीचे दी गयी तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु मद सख्यां **A.8.1.7.5.4 में न्यूट्रिश्टनिस्ट हेतु रू015000/– प्रति** माह **की दर से मद संख्या A.8.1.1.2.f** में स्टाफनर्स हेतु रू016500/–प्रति माह, मद **संख्या A.8.1.11.f** में केयर टेकर के लिये रू0 4000/– प्रति माह तथा रसोईया के लिये रू05000/– प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा चिकित्सकों के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु 6 माह का मानदेय स्वीकृत है माह सितम्बर के उपरान्त एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता एवं संविदा पर तैनात कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी तदनुसार भारत सरकार से द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मॉग की जायेगी तथा द्वितीय किस्त स्वीकृत होने के उपरान्त जनपदवार इकाईयों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मेडिकल कॉलेज को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष

धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Commited रूप में है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः—

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।

3. वर्ष 2013—14 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार ने Key issues and Guiding Principles में दिये गये बिन्दु सं0 12 पर जो व्यख्या दी गयी हैं उसका सावधानी एवं सतर्कता पूर्ण अनुपालन किया जाय।

   <u>Point No.12-</u> " The state must ensure due diligence in expenditure and observe, in letter and spirit, all rules, regulations, and procedures to maintain financial discipline and integrity particularly with regard to procurement; competitive bidding must be ensured and only need-based procurement should take place. "

4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये मेडिकल कॉलेज के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

5. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
6. एन0आर0सी0पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय।
7. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें <u>(यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय)</u>

S. No.	Budget for NRCs (2013-2014) Item
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Medicine @ Rs. 300 per child for 240 children per year (@20 children per month)
2	Food for children @ Rs. 75 per child/day
3	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)
4	Transportation cost for Family to bring children to NRC and back children to home after discharge from NRC (Rs. 300 per child)
5	Incentive to front line workers ASHA/ AWW/ ANM to bring mother & child including transportation @ Rs. 100 per case
6	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc.@ Rs. 2000/month.
7	Maintenance of equipments (based on actual expenditure) 10000 per year.
8	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting etc. Rs20000 per year.
9	Purchasing of digital weighing machine, infantometer and maintenance cost (only, if required with the consent of State Programme Officer) up to Maximum Rs 10,000.00
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Transportation cost for Family to bring children to NRC (Rs. 200 per child)
2	Incentive to ASHA/ AWW/ ANM to bring mother & child including transportation @ Rs. 100 per case
3	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
4	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

3–मानव संसाधन एवं दायित्वः–

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी । मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक का कार्य नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- न्यूट्रीशन काउन्सलर –1 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स –4 (संविदा पर)
- रसोईया –1 (संविदा पर)
- केयर टेकर –1 (संविदा पर)

चिकित्सक के कार्य एवं दायित्वः—

चिकित्सक द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी / महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। पोषण पुनर्वास केन्द्र का पूर्ण एवं सुचारु रूप से संचालन चिकित्सक का दायित्व होगा।.

न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्वः—

उल्लखित पत्रों में **दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त** इस वर्ष **Infant and Young Child Feeding Practices (IYCF) को बढावा देने के उद्देश्य से** कम से कम **1 घन्टे प्रसवोत्तर वार्ड में भर्ती मां और अस्पताल में साप्ताहिक टीकाकरण** सत्र के मध्य **मांताओं को शीघ्र स्तनपान कराने तथा 6 माह** तक **दूध पिलाने, 6** माह के उपरान्त **पूरक आहार की जानकारी .दी जाय जिससे कुपोषण की रोकथाम की** जा **सके।** न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा प्रातः 9:00 बजे से 5:30 बजे तक **बच्चों** की देखभाल **तथा IYCF** को बढावा देने में सहयोग करना होगा।

स्टाफ नर्स के कर्तव्य एवं दायित्वः—

उल्लखित पत्रों की **भॉति। इस वर्ष Infant and Young Child Feeding Practices (IYCF)** को बढावा देने में स्थानीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना। पोशण पुनर्वास केन्द्र के समस्त अभिलेख जैसे बच्चों का सैम चार्ट ,एन0आर0सी0रजिस्टर,डिस्चार्ज टिकट,फोटो एल्बम,का रखरखाव स्टाफनर्स का होगा।स्टाफनर्स को ड्यूटी के समय अपनी ड्रैस में होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स की ड्यूटी 8—8 घंटे की होगी।

4—पोषण पुर्नवास केन्द्र की संचालन प्रकियाः—

विगत वर्ष में दिये गये निर्देशनुसार ।

5—गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)—

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1—बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न— (—3) एस0डी0 से कम
	2—बच्चे की मिड अपर आर्म का माप— 11.5 से0मी0 से कम
	3—बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

6 माह से कम उम्र के बच्चों	1—बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न— (—3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2—बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3—देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय।

2. ऑगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स" (MUAC) 11.5 से.मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।

3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0/आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले (MUAC) 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

<u>6–बच्चों के छुट्टी के मानकः–</u>

- वज़न में 15 प्रतिशतकी वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना,
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

<u>7–कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–</u>

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। इसके लिये वित्तीय व्यवस्था दी गयी है । छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।

- माह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जॉय तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

10–रिपोर्ट का प्रेषणः–

पत्र के साथ मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति के प्रेषण हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 7 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजी जाय। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाय। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

<u>कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (प्रोटो टाइप संलग्न) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3

फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जॉय अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी/आशाओं को बताया जाय। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। महानिदेशलय, एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय

14/8/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4–4/2013–14/ **दिनांकः 07.2013**

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ,जवाहर भवन लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. मण्डलायुक्त,इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झॉसी/अलीगढ़।
5. जिलाधिकारी, इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झॉसी/अलीगढ़।
6. निदेशक,आई0सी0डी0एस0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झॉसी/अलीगढ़।
8. कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़।
9. प्रधानाचार्य, एम0एल0एन0,मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
10. विभागाध्यक्ष, /एन0आर0सी0 कोऑर्डिनेटर, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज अलीगढ़/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी–3/258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई एन0आर0एच0ए इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/ झॉसी/अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लखित पृष्टांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।

(डा0काजल)
अपर मिशन निदेशक

क्रम सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की माँ को रू0 100 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	भर्ती कराने पर बच्चे को लाने ले जाने के लिये रू0 200 दिया जाता है।
6	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा/ऑगनवाड़ी को रू0 100 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है।
7	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फोलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 3 बार दिखाना चाहिये
8	बच्चे को फोलोअप के लिये लाने पर माँ को रू0 200 आने जाने के लिये तथा एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 दिया जाता है।
9	फोलोअप के समय यदि आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को साथ लाती हैं तो उन्हें भी रू0 100 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है।
10	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
11	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें

नोटः— ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व परदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़े व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवा कर 1—पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1—केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग कराई जाय।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल कॉम्पलेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इलाहाबाद / कानपुर / गोरखपुर / झाँसी / अलीगढ़।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4–4 / 2013–14 / दिनांकः 19/08/2013 ~~07-2013~~

विषयः–जनपद स्तर पर **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** की संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र–संख्याः एस.पी.एम.यू. / एन.आर.सी. / 18–4–3 / 2012–13 / 1005–4 एवं स0 1004 दिनॉकः 06.08.2012 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें पत्र के माध्यम से **"पोषण पुनर्वास केन्द्र"** की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशनिर्देश दिये गये है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0–।।। के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वजन अपनी उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित है अर्थात इनका वजन ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। कुपोषण की रोक थाम एवं उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये "पोषण **पुनर्वास केन्द्र"** के संचालन हेतु मानव संसाधन एवं आपरेशनल कास्ट धनराशि स्वीकृत की गयी है इसके उपयोग के सम्बन्ध दिशनिर्देश निम्नवत है। ध्यान रखें कि यह दिशानिर्देश पूर्व में जारी किये गये दिशानिर्देश को supplement कर रहें है तथा इनमें केवल नये निर्देश शामिल किये गये हैं। **पोषण पुनर्वास केन्द्र"** की संचालन के लिये पुराने व नये दोनों निर्देशों को देखने का कष्ट करें।

<u>उद्देश्यः–</u>

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

<u>पोषण पुनर्वास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–</u>

1. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं कामानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहारकी व्यवस्था।
4. मां एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।

6 पोषण पुनर्वास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

वित्त पोषण

Nutritional Rehabilitation Centres Funds allocation									
Sl. No.	Name of Districts	Operational cost Approved from GoI	Medical Doctors	Nutitionist/ Feeding Demonstrator @ 15000/Mth for 6 Months	Staff Nurse @ Rs.16,500/Mth for 6 Months		Caretaker @ Rs.4000/Mth for 6 Months	Cook @ RS.5000/Mth for 6 Months	Total Funds To District
			Amount	Amount	No.	Amount	Amount	Amount	
	FMR Code	A.2.5	A.8.1.5.7	A.8.1.7.5.4	A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f	A.8.1.11.f	
1	Med. Coll. Aligarh	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
2	Med. Coll. Allahabad	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
3	Med. Coll.Gorakhpur	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
4	Med. Coll.Jhansi	780000		90000	3	297000	24000	30000	1221000
5	Med. Coll. Kanpur	780000		90000	4	396000	24000	30000	1320000
	TOTAl	**3900000**	**0**	**450000**	**19**	**1881000**	**120000**	**150000**	**6501000**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट मद में विगत वर्ष की तरह औषधियों, कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, माँ के लिये दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय, आशा या ऑगनवाड़ी हेतु प्रतिपूर्ति राशि, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फोलोअप आदि का वहन पूर्व की भॉति नीचे दी गयी तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु मद सख्यां **A.8.1.7.5.4 में न्यूट्रिशटनिस्ट हेतु रू015000/– प्रति माह की दर से मद संख्या A.8.1.1.2.f** में स्टाफनर्स हेतु रू016500/–प्रति माह, मद संख्या **A.8.1.11.f** में केयर टेकर के लिये रू0 4000/– प्रति माह तथा रसोईया के लिये रू05000/– प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा चिकित्सकों के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु 6 माह का मानदेय स्वीकृत है माह सितम्बर के उपरान्त एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता एवं संविदा पर तैनात कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी तदनुसार भारत सरकार से द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मॉग की जायेगी तथा द्वितीय किस्त स्वीकृत होने के उपरान्त जनपदवार इकाईयों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मेडिकल कॉलेज को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष

धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Commited रूप में है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।

3. वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार ने Key issues and Guiding Principles में दिये गये बिन्दु सं0 12 पर जो व्यख्या दी गयी हैं उसका सावधानी एवं सतर्कता पूर्ण अनुपालन किया जाय।

   <u>Point No.12-</u> " The state must ensure due diligence in expenditure and observe, in letter and spirit, all rules, regulations, and procedures to maintain financial discipline and integrity particularly with regard to procurement; competitive bidding must be ensured and only need-based procurement should take place. "

4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये मेडिकल कॉलेज के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

5. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
6. एन0आर0सी0पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय।
7. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें <u>(यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय)</u>

तालिका–1

Budget for NRCs (2013-2014)	
S. No.	**Item**
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Medicine @ Rs. 300 per child for 240 children per year (@20 children per month)
2	Food for children @ Rs. 75 per child/day
3	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)
4	Transportation cost for Family to bring children to NRC and back children to home after discharge from NRC (Rs. 300 per child)
5	Incentive to front line workers ASHA/ AWW/ ANM to bring mother & child including transportation @ Rs. 100 per case
6	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
7	Maintenance of equipments (based on actual expenditure) 10000 per year.
8	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting etc. Rs20000 per year.
9	Purchasing of digital weighing machine, infantometer and maintenance cost (only, if required with the consent of State Programme Officer) up to Maximum Rs 10,000.00
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Transportation cost for Family to bring children to NRC (Rs. 200 per child)
2	Incentive to ASHA/ AWW/ ANM to bring mother & child including transportation @ Rs. 100 per case
3	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
4	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

3–मानव संसाधन एवं दायित्वः–

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी । मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक का कार्य नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- न्यूट्रीशन काउन्सलर –1 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स –4 (संविदा पर)
- रसोईया –1 (संविदा पर)
- केयर टेकर –1 (संविदा पर)

<u>चिकित्सक के कार्य एवं दायित्वः–</u>

चिकित्सक द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। पोषण पुनर्वास केन्द्र का पूर्ण एवं सुचारु रूप से संचालन चिकित्सक का दायित्व होगा।

<u>न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्वः–</u>

उल्लखित पत्रों **में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त** इस वर्ष **Infant and Young Child Feeding Practices (IYCF) को बढावा देने के उद्देश्य से कम से कम 1 घन्टे प्रसवोत्तर वार्ड में भर्ती मां और अस्पताल में साप्ताहिक टीकाकरण सत्र के मध्य मांताओं को शीघ्र स्तनपान कराने** तथा **6** माह **तक दूध पिलाने, 6** माह के उपरान्त **पूरक आहार की जानकारी दी जाय जिससे कुपोषण की रोकथाम की** जा सके। न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा प्रातः 9:00 बजे से 5:30 बजे तक बच्चों की देखभाल तथा **IYCF** को बढावा देने में सहयोग करना होगा।

<u>स्टाफ नर्स के कर्तव्य एवं दायित्वः–</u>

उल्लखित पत्रों **की भॉति। इस वर्ष Infant and Young Child Feeding Practices (IYCF)** को बढावा देने में स्थानीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना। पोशण पुनर्वास केन्द्र के समस्त अभिलेख जैसे बच्चों का सैम चार्ट ,एन0आर0सी0रजिस्टर,डिस्चार्ज टिकट,फोटो एल्बम,का रखरखाव स्टाफनर्स का होगा।स्टाफनर्स को ड्यूटी के समय अपनी ड्रैस में होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स की ड्यूटी 8–8 घंटे की होगी।

<u>4–पोषण पुर्नवास केन्द्र की संचालन प्रकियाः–</u>

विगत वर्ष में दिये गये निर्देशनुसार ।

<u>5–गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–</u>

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।

6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलतायें हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय।
2. ऑगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से.मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।
3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0/आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले (MUAC) 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

6–बच्चों के छुट्टी के मानकः–

- वज़न में 15 प्रतिशतकी वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना,
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

7–कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। इसके लिये वित्तीय व्यवस्था दी गयी है । छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- माह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जॉय तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की ज़ानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी ज़ाय।

10–रिपोर्ट का प्रेषणः–

पत्र के साथ मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति के प्रेषण हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 7 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजी जाय। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाय। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (प्रोटो टाइप संलग्न) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3

फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जॉय अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी/आशाओं को बताया जाय। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। महानिदेशलय, एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

<u>संलग्नक उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4–4/2013–14/2301-5-12 **दिनांकः** 19/08/2013 ~~07.2013~~

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ,जवाहर भवन लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें ।
4. मण्डलायुक्त,इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झाँसी/अलीगढ़।
5. जिलाधिकारी, इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झाँसी/अलीगढ़।
6. निदेशक,आई0सी0डी0एस0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/झाँसी/अलीगढ़।
8. कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़।
9. प्रधानाचार्य, एम0एल0एन0,मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
10. विभागाध्यक्ष, /एन0आर0सी0 कोऑर्डिनेटर, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज अलीगढ़/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी–3/258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई एन0आर0एच0ए इलाहाबाद/कानपुर/गोरखपुर/ झाँसी/अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लखित पृष्टांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।

(डा0काज़ल)
अपर मिशन निदेशक

क्रम सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की माँ को रू0 100 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	भर्ती कराने पर बच्चे को लाने ले जाने के लिये रू0 200 दिया जाता है।
6	आशा/आँगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा/आँगनवाड़ी को रू0 100 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है।
7	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फोलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 3 बार दिखाना चाहिये
8	बच्चे को फोलोअप के लिये लाने पर माँ को रू0 200 आने जाने के लिये तथा एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 दिया जाता है।
9	फोलोअप के समय यदि आशा/आँगनवाड़ी बच्चे को साथ लाती हैं तो उन्हें भी रू0 100 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है।
10	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
11	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें

नोटः– ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व परदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़े व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवा कर 1–पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1–केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग कराई जाय।